न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र ओझा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **135/16 (वाद)**

1. श्रीमती प्रताबी बाई (पिता माना) पत्नी स्व. रामा डांगी निवासी सांगवा (गोरमा) तह. मावली।
2. श्रीमती धापूबाई (पिता माना) पत्नी खरता डांगी निवासी जीपा का रहट तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती नानीबाई (पिता माना) पत्नी स्व. खुमा डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री खेमराज पिता माना डांगी निवासी घासा (पटेलों का बाडा) तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 30.01.2018

1. वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा घासा की ''परिशिष्ठ क'' में अंकित आराजी नम्बर 4521, 4542, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4533 किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज हैं। ''परिशिष्ठ ख'' में अंकित आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है बकाया हिस्सा जमाबन्दी में अंकित अनुसार हैं। ''परिशिष्ठ ग'' में अंकित आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/12 हिस्सा दर्ज है बकाया हिस्सा जमाबन्दी में अंकित अनुसार हैं। मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा की ''परिशिष्ठ घ'' में अंकित आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज हैं बकाया हिस्सा जमाबन्दी में अंकित अनुसार हैं। ''परिशिष्ठ ड़'' में अंकित आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394 2398, 2399 किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा उक्त आराजीयात में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज है बकाया हिस्सा जमाबन्दी के अंकित अनुसार हैं।

2. वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के खानदान का सजरा निम्न प्रकार हैं।

हीरा

↓

माना

↓

प्रताबीबाई | खेमराज | धापूबाई | नानीबाई

उक्त सजरे में बताये गये हीरा व माना की मृत्यु हो गई हैं।

3. उक्त आराजीयात माना पिता हीरा जी के खातेदारी व आधिपत्य की थी जो माना जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 खेमराज ने पटवारी हल्का से मिलकर वादीगण के चुपके चुपके अपने नाम विरासत का नामान्तकरण नम्बर 1532 तारीख 23.03.1998 हैं। माना की मृत्यु के बाद माना जी जायदाद वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 में बराबर हक व हिस्से से निहित हुई है यानि माना के हिस्से में 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 1 का, 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 2 का, 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 3 का व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 का होकर इसी हिस्सेनुसार संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है तथा इसी अनुसार रेकार्ड में भी प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम समान हक व हिस्से से दर्ज होना चाहिए, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण का हिस्सा हडपने की नियत से पटवारी हल्का से मिलकर प्रतिवादी नम्बर 1 अकेले के नाम दर्ज करा ली है जो बिना अधिकार के होकर निरस्त किए जाने योग्य हैं।

4. उक्त परिशिष्ठ (क) में अंकित आराजीयात का सम्पूर्ण रकबा माना के खातेदारी व आधिपत्य का था जो प्रतिवादी नम्बर 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज का लिया है जबकि परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात में वादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, वादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज चले आ रहे हैं। परिशिष्ठ ख, परिशिष्ठ घ, परिशिष्ठ ड में अंकित आराजीयात में माना का 1/3 हिस्सा दर्ज था जो प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने नाम दर्ज करा लिया है जो गलत है जबकि परिशिष्ठ ख, परिशिष्ठ घ, परिशिष्ठ ड में अंकित आराजीयात में वादी नम्बर 1 का 1/12, वादी नम्बर 2 का 1/12, वादी नम्बर 3 का 1/12 व प्रतिवादी नम्बर 1 का 1/12 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार काबिज चले आ रहे है व इसी हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना चाहिए। इसी तरह परिशिष्ठ ग में अंकित आराजीयात में माना का 1/12 हिस्सा था जो प्रतिवादी नम्बर 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज करा लिया है जबकि

परिशिष्ठ ग में अंकित आराजीयात में वादी नम्बर 1 का 1/48 हिस्सा, वादी नम्बर 2 का 1/48 हिस्सा, वादी नम्बर 3 का 1/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी नम्बर 1/48 हिस्सा होकर इसी हिस्सेनुसार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 काबिज चले आ रहे है व इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज होना चाहिए लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण के चुपके चुपके माना के नाम पर दर्ज भूमि को पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम पर दर्ज करा ली है जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं होने दी हैं।

5. कथित नामान्तरकरण माना की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने अकेले के नाम खुलवा स्वीकृत करा लिया है जो अवैध है। तथाकथित नामान्तरकरण खोलते समय पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में भी माना के सभी वारिसान जिसमें वादीगण जो कि माना की जायन्दा पुत्रियां है को भी अपनी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया है जो प्रतिवादी 1 की मिलीभगत है तथा ग्राम पचांयत द्वारा भी माना के सभी वारिसानों की जांच नहीं कर कथित नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है जो अवैधानिक हैं। कथित नामान्तरकरण देखने से यह भी स्पष्ट है कि माना के लडकियों का कोई उल्लेख नामान्तरकरण में नहीं किया गया है जबकि वादीगण माना की जायन्दा पुत्रियां है तथा माना की मृत्यु हो जाने से माना की उक्त आराजीयात में माना के समान ही प्रत्येक वादीगण का समान हक व हिस्सा निहित है व प्रत्येक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम विरासत का नामान्तकरकरण खोला जाकर इन्द्राज किया जाना चाहिए था, लेकिन प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर ही इन्द्राज किया गया है जो बिना अधिकार के होकर निरस्त किए जाने योग्य है तथा वादीगण के विरूद्व बेअसर व शून्य हैं। इस नामान्तरकरण से प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं।

6. वादीगण को अभी उक्त आराजी पर लोन लेने के लिए जमाबन्दी की आवश्यकता होने से वादीगण ने उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकलें तारीख 20.02.2016 को प्राप्त की तो मालूम हुआ कि उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम पर दर्ज है तथा वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ है, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को कहा कि प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण का हिस्सा वादीगण के नाम पर दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने आनाकानी की व धमकी दी कि जमीन मेरे नाम पर है, मैं अब तुम्हें इस जमीन पर नहीं आने दूंगा व अन्य को विक्रय कर दूंगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकोगें। ऐसी अवस्था में वादीगण को अपने खातेदारी

अधिकारों की घोषणा कराना व प्रतिवादी सं. 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना आवश्यक हो गया है, वरना् प्रतिवादी नम्बर 1 वादीगण को उक्त आराजीयात से जबरन बेदखल कर देगा व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण कर देगा जिससे वादीगण को भारी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नहीं की जा सकेगी।

7. वाद कारण तारीख 20.02.2016 को जबकि वादीगण ने उक्त आराजीयात की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की व तारीख 22.02.2016 को जबकि वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 को वादीगण के हिस्से की आराजी वादीगण के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ने आनाकानी की व धमकी दी कि जमीन मेरे नाम पर दर्ज है, अब वादीगण को जमीन पर नहीं आने देगें व अन्य को विक्रय हस्तान्तरण करने की धमकी दी, पैदा हुआ।

8. अतः प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री प्रदान कराई जावें कि परिशिष्ट क में अंकित आराजीयात के 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 1 को, 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 2 को, 1/4 हिस्से का वादी नम्बर 3 को तथा 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को, परिशिष्ठ ख में अंकित आराजीयात के 1/12 हिस्से का वादी नम्बर 1 को, 1/12 हिस्से का वादी नम्बर 2 को, 1/12 हिस्से का वादी नम्बर 3 को तथा 1/12 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को, परिशिष्ठ ग में अंकित आराजीयात के 1/48 हिस्से का वादी नम्बर 1 को, 1/48 हिस्से का वादी नम्बर 2 को, 1/48 हिस्से का वादी नम्बर 3 को तथा 1/48 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार घोषित फरमाया जावे तथा इसी तरह वाद की परिशिष्ठ घ व परिशिष्ठ ड में अंकित आराजीयात के 1/12 हिस्सें का वादी नम्बर 1 को, 1/12 हिस्सें का वादी नम्बर 2 को, 1/12 हिस्सें का वादी नम्बर 3 को तथा 1/12 हिस्सें का प्रतिवादी नम्बर 1 को खातेदार घोषित फरमाया जावें व तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराया जावें। प्रतिवादी नम्बर 1 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि वाद में अंकित आराजीयात में वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करें तथा संयुक्त उपयोग उपभोग करने देवे तथा उक्त आराजीयात को अन्य किसी को विक्रय हस्तान्तरण नहीं करे, न खुर्द बुर्द ही करें। मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा

कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। राजपेरोकार द्वारा जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।

10.साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्रीमती धापुबाई, पीडब्ल्यू 2– श्रीमती नानीबाई का शपथ पत्र पेश किया गया।

11.प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

12.हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 6 नामान्तरकरण के अवलोकन से वाद वर्णित भूमि पूर्व में माना पिता हिरा के फौत होने से उसके विरासत के नामान्तरकरण में माना के पुत्र खेमराज के नाम का स्वीकृत कर दिया गया जबकि वादीगण सं. 1 से 3 माना की जायन्दा वारिस हैं। इनका नाम नामान्तरकरण में दर्ज नहीं किया गया। भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति होने से वादीगण का जन्म से ही भूमि पर अधिकार हैं। वादीगण के पिता के फौत होने से वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 खेमराज के साथ वादीगण का नाम भी आना चाहिए था जबकि विरासत के नामान्तरकरण में केवल प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत किया गया। सभी बहिनों का बराबर–बराबर हिस्सा बनता हैं। प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना वादीगण के वाद के खण्डन हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं। जिससे भी वादीगण के वाद को बल मिलता हैं। भूमि माना के नाम होकर वादीगण की पैतृक सम्पति हैं। जिसमें वादीगण के पिता माना की मृत्यु होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत् पुत्रियां प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। अतः भूमि हिस्सानुसार अपने नाम दर्ज कराने की अधिकारिणी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा की ''परिशिष्ठ क'' में अंकित आराजी नम्बर 4521, 4542, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4533 किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी

सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ख'' में अंकित आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ग'' में अंकित आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/48–1/48 हिस्सा एवं मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा की ''परिशिष्ठ घ'' में अंकित आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ड़'' में अंकित आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394 2398, 2399 किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास जितेन्द्र ओझा, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्रीमती प्रताबी बाई (पिता माना) पत्नी स्व. रामा डांगी निवासी सांगवा (गोरमा) तह. मावली।
2. श्रीमती धापूबाई (पिता माना) पत्नी खरता डांगी निवासी जीपा का रहट तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
3. श्रीमती नानीबाई (पिता माना) पत्नी स्व. खुमा डांगी निवासी सिन्दु तह. मावली।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री खेमराज पिता माना डांगी निवासी घासा (पटेलों का बाडा) तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 135/16 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु जितेन्द्र ओझा R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है किः–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घासा की ''परिशिष्ठ क'' में अंकित आराजी नम्बर 4521, 4542, 4523, 4524, 4525, 4526, 5870/4533 किता 7 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/4–1/4 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ख'' में अंकित आराजी नम्बर 4474, 4481, 4482, 4483, 4486, 4487, 4488, 4492, 4505, 4506, 4507, 4513, 4514, 4515, 4547, 4548, 4549, 4550, 4551 किता 19 रकबा 9 बीघा 1 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ग'' में अंकित आराजी नम्बर 4472, 4473, 4501, 4502, 4503, 4504, 4508, 4509 किता 8 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/48–1/48 हिस्सा एवं मौजा दुर्गावतों का नोहरा पटवार हल्का घासा की ''परिशिष्ठ घ'' में अंकित आराजी नम्बर 2738, 2740, 2741, 2742 किता 4

रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा, ''परिशिष्ठ ड़'' में अंकित आराजी नम्बर 2385, 2386, 2394 2398, 2399 किता 5 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के बजाय वादी सं. 1 से 3 व प्रतिवादी सं. 1 प्रत्येक को 1/12–1/12 हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी सं. 1 वादीगण के हिस्से कब्जे में दखलन्दाजी नहीं करें, वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 30.01.2018 को जारी की गई।

(जितेन्द्र ओझा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली